

## श्रमिकों के बेटों तथा अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर शगुन के तौर पर दी जाने वाली योजना हेतू अण्डरटेकिंग

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कु0/कुमारी .....  
सपुत्र/सपुत्री/पत्नी श्री ..... दिनांक .....  
से मैसर्ज ..... में ..... के पद पर कार्यरत  
हूँ। मैं इस योजना का लाभ (टिक करें) पहली...../दूसरी..... तथा तीसरी बार..... ले  
रहा/रहीं हूँ।

"मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दर्शाए गए तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ठीक हैं तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। बहकाने या छुपाने के किसी भी स्थिति के मामले में मेरे विरुद्ध जैसा भी मामला हो अपराधी के तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 182, धारा 415, सह धारा 417 तथा धारा 420 के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।" बोर्ड की योजना के अन्तर्गत यदि किसी कारणवश देय से अधिक राशि स्वीकृत हो जाती है तो मैं श्रम कल्याण बोर्ड को अधिकार देता हूँ कि वह मेरी संस्था के माध्यम से अधिक जारी की गई राशि मेरे वेतन से कटौती करके अपनी भरपाई कर लेवें" ।

मैंने उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्णतः पढ कर समझ लिया है तथा मैं पूर्णतः सहमत हूँ।